छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....11.....

दिनांक 18/05/2020

विषयः– **छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविकित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट देते हुए विक्रय कर मण्डल की अवरुद्ध निधि प्राप्त करने की योजना अवधि में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में।**

---***---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. एफ 3–07/2019/32 दिनांक 18/11/2019 एवं मण्डल आदेश क्र. 18 दिनांक 18/11/2019 के माध्यम से मण्डल की योजनाओं में भवनों के मूल्य में 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत छूट एवं प्रारंभिक मूल्य में विक्रय किये जाने आदेश प्रसारित किये गये है, जिसमें प्रथम चरण में 31/03/2020 तक छूट अवधि घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन के द्वारा COVID-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 24/03/2020 से 17/05/2020 तक लॉक डाउन घोषित किया गया। शासन के ज्ञापन दिनांक 21/03/2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के प्रदेश भर में संचालित कार्यालय तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गए। इसके कारण आपात सेवा जैसे–मण्डल की कॉलोनी के रख–रखाव कार्यो को छोड़कर शेष व्यावसायिक गतिविधियॉ पूर्णतः बंद की गई। शासन द्वारा घोषित लॉक डाउन के कारण मण्डल की निधि तरलता अवरुद्ध है एवं मण्डल द्वारा प्रदान की गई छूट का लाभ हितग्राही प्राप्त नही कर पाए तथा मण्डल को वित्तीय हानि का सामना करना पड़ रहा है।

उपर्युक्त स्थिति में मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुसार एतद् द्वारा मण्डल के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविकित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट देते हुए विक्रय करने की योजना अवधि आगामी 03 माह तक बढ़ोत्तरी किया जाता है। छूट हेतु शेष नियम/शर्ते यथावत् रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कमशः–02

पृ.क्र.894/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/05/2020

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–01,02,03,04 रायपुर/राज. परिसंभाग–1,2,नवा रायपुर/संभाग–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र–01,02,03,04,05 रायपुर दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर